भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०–136/2018–19

आदेश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
27.12.2018	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, मनोहरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 15.01.2019 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 15.01.2019 को उपस्थापित करें । 27.12.18 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
	आदेश	
15.01.2019	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, **मनोहरपुर** के पत्रांक–63(B), दिनांक–31.12.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 10.01.2019 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, **मनोहरपुर** ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक **(1) श्री सुकरा सुरीन,** पिता– **जीतू सुरीन, (2) रंजित सुरीन,** पिता– **रैबु सुरीन, (3) काजिला सुरीन,** पिता– **स्व0 सोमा सुरीन,** जाति– **मुण्डा (अ०ज०जा०),** ग्राम– **उन्धन,** पो0– **रायकेरा,** थाना– **मनोहरपुर,** जिला **प० सिंहभूम** ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा– **उन्धन,** थाना– **मनोहरपुर,** थाना नं0– **91,** खाता नं०– **48,** प्लॉट नं0– **634,** रकवा– **0.29 ए0,** आवासीय भूमी क्रेता **कुमारी फूलमनी बरवा,** पिता/पति– **स्व0 टुनालाल बरवा,** जाति– **उराँव (अ०ज०जा०),** ग्राम– **नन्दपुर,** पो0– **नन्दपुर,** थाना– **मनोहरपुर,** जिला– **प० सिंहभूम** के पास बिक्री करना चाहते हैं। आम इश्तेहार किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक/आवेदिका **(1) श्री सुकरा सुरीन,** पिता/पति– **जीतू सुरीन,** पिता– **(2) रंजित सुरीन,** पिता– **स्व0 रैबू सुरीन, (3) काजिला सुरीन,** पिता– **स्व0 सोमा सुरीन,** जाति– **मुण्डा (अ०ज०जा०),** ग्राम– **उन्धन,** पो0– **रायकेरा,** थाना– **मनोहरपुर,** जिला **प० सिंहभूम** के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। बिक्रेता एवं क्रेता का थाना– **मनोहरपुर,** जिला–**प0 सिंहभूम** के निवासी हैं। बिक्रेता का जाति– **मुण्डा (अ०ज०जा०),** एवं क्रेता का जाति– **उराँव (अ०ज०जा०),** समुदाय के सदस्य हैं। प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात बिक्रेता को **मनोहरपुर** अंचल अंतर्गत रकवा– **1.80 ए0,** अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, **मनोहरपुर** द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप बिक्रेता **(1) श्री सुकरा सुरीन,** पिता/पति– **जीतू सुरीन,** पिता– **(2) रंजित सुरीन,** पिता– **स्व0 रैबू सुरीन, (3) काजिला सुरीन,** पिता– **स्व0 सोमा सुरीन,** जाति– **मुण्डा (अ०ज०जा०),** ग्राम– **उन्धन,** पो0– **रायकेरा,** थाना– **मनोहरपुर,** को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त भूमि **1,50,000/– (एक लाख पचास हजार)** रूपये में बेचने की **स्वीकृति** छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत दी जाती है। आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें। लेखापित 15.1.19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर। 15.1.19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	